अंचल कार्यालय महेशपुर।

राजस्व विविध वाद अभिलेख संख्या–58/16–17

(बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950(झारखण्ड में अंगीकृत) धारा–4(H)के अर्न्तगत)

आदेश की तिथि	पदाधिकारी का आदेश	अभ्युक्ति
?	–: आदेश :– इस वाद की कार्यवाही मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 04/स0भू0 (दिशा निर्देश)–95/2016, 2074/रा0 राजस्व, निबंधन एंव भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार दिनांक 13.05.2016 के आलोक में अपर समाहर्त्ता पाकुड़ के आदेश ज्ञापांक 479/रा0 दिनांक 14.05.2016 से अनाबादी खातान्तर्गत गैर मजरूआ आम/खास भूमि की संदेहास्पद कायम जमाबंदी की जॉच संदर्भित प्राप्त निदेश के आलोक में प्रारम्भ की गई है। संबंधित राजस्व कर्मचारी द्वारा अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदित है कि मौजा कानीझाड़ा थाना संख्या–287 अनाबादी खाता संख्या–108 दाग संख्या–439 कुल खतियानी रकबा–05 बीघा 14 कट्ठा 19 धूर किस्म–दरगा पुकूर (पोखर) राजस्व पंजी–।। के भाग संख्या–1 पेज संख्या–352 में बिना आधार साक्ष्य प्रविष्टि इसराईल मंडल व एकराम अली मंडल व अमजेद अली मंडल व आमरूद्दीन मंडल सभी के पिता–इज्जत अली मंडल साकिन–कानीझाड़ा के नाम से इन्द्राज है। संबंधित राजस्व कर्मचारी द्वारा अभिलिखित मंतव्य समर्पित कर प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नगत दाग की भूमि की राजस्व पंजी–।। में प्रविष्टि की कोई विवरणी/आधार साक्ष्य अंकित नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि भूमि सुधार के उद्देश्यों को विफल करने एंव सरकारी भूमि पर गलत/फर्जी दस्तावेजों की आड़ में रैयती दावा करने का कुप्रयास है। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एंव अंचल निरीक्षक के द्वारा लोकहित एंव सरकार के हित में कायम जमाबंदी विलोपन एंव सरकार में सन्निहित करने की अनुशंसा की गई है। इस कार्यालय के ज्ञापांक 465/रा0 दिनांक 12.07.2016 से पंजी–।। रैयत को निर्गत नोटिश जो अभिलेखबद्व है, के प्रत्युत्तर में मु0 नुरूद्दीन मंडल पिता–इसराईल मंडल ग्राम–कानीझाड़ा के द्वारा स्वदावे के समर्थन में निबंधित केवाला संख्या–754/1944 की छायाप्रति समर्पित किया गया है। पंजी–।। रैयत के उत्तराधिकारी द्वारा समर्पित केवाला एंव राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा जॉच प्रतिवेदन के साथ समर्पित हस्तलिखित राजस्व पंजी–।। की छायाप्रति के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि हस्तलिखित राजस्व पंजी–।। में तत्कालीन राजस्व उपनिरीक्षक के द्वारा यह अंकित किया गया है कि अंचल अधिकारी, महेशपुर के आदेशानुसार खाता में दर्ज किया परन्तु पंजी–।। में कार्यालय आदेश ज्ञापांक संख्या अथवा नामान्तरण वाद संख्या अंकित नहीं है। स्पष्टतः ऐसा प्रतीत होता है कि तत्कालीन राजस्व उपनिरीक्षक के द्वारा अप्रकाश्य कारणवश में यह अंकित किया गया है जो स्वीकार्य नहीं है। पुनश्चः राजस्व पंजी–।। में भू–लगान भुगतान वर्ष 31.03.1976 अंकित है। चूंकि यह स्थापित है कि यदि अनाबादी खाता की भूमि का भू–लगान वर्ष 1962 के बाद से कटना शुरू हुआ है तो यह स्वंय में एक संदेहास्पद मामला है। पुनः विपक्षी द्वारा समर्पित केवाला के साथ ऐसा कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया है जो अनाबादी खाते की भूमि के बिकेता के स्वत्व की पुष्टि करता हो। बिकेता के स्वत्वाधिकार एंव अनाबादी खाते की भूमि बिकेता को किस माध्यम से प्राप्त हुई है, से संबंधित कोई दस्तावेज विपक्षी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। संबंधित राजस्व कर्मचारी एंव अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन, विपक्षी के पक्ष में बिना आधार कायम पंजी–।। सह दस्तावेज की सम्यक संवीक्षा के उपरान्त यह स्पष्ट है कि मौजा कानीझाड़ा थाना संख्या–287 अनाबादी खाता संख्या–108 दाग संख्या–439	

Scanned with CamScanner

कुल खतियानी रकबा–05 बीघा 14 कट्ठा 19 धूर किस्म–दरगा पुकूर (पोखर) राजस्व पंजी–।। के भाग संख्या–1 पेज संख्या–352 में बिहार भूमि सुधार के उद्देश्यों को विफल करने के उद्देश्यय से एंव निजलाभ से प्रेरित राजस्व पंजी–।। में जमाबंदी कायम किया गया है जिसका लोकहित एंव सरकार के हित में विलोपन एंव प्रश्नगत दाग की भूमि का सरकार में सन्निहित किया जाना आवश्यक है।

अतः बिना आधार साक्ष्य प्रविष्टि इसराईल मंडल व एकराम अली मंडल व अमजेद अली मंडल व आमरूद्दीन मंडल सभी के पिता–इज्जत अली मंडल साकिन–कानीझाड़ा के नाम से राजस्व पंजी–।। के भाग संख्या–1 पेज संख्या–352 में दाग संख्या–439 कुल खतियानी रकबा–05 बीघा 14 कट्ठा 19 धूर की कायम जमाबंदी के साथ साथ उक्त खाते से खारिज के उपरान्त परवर्त्ती कायम जमाबंदियों के भी विलोपन की अनुशंसा की जाती है। अभिलेख भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, पाकुड़ को भेजें।

लेखापित एंव संशोधित

21/x/21

अंचल अधिकारी
महेशपुर

21/x/21

अंचल अधिकारी
महेशपुर

Digitally signed by RITESH JAISWAL
Date: 2021.10.22 18:53:38 +05:30
Location: 2001:0:348b:fb58:34f3:3b2:3f57:ff96

Scanned with CamScanner